

बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001

विज्ञापन सं.-02/2022, शिक्षा विभाग, बिहार के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के कुल 6421 (छः हजार चार सौ इक्कीस) पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है, इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत है :-

(क)

क्र.सं.	कोटि	अनुमान्य पदों की कुल संख्या	35% क्षीतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या
1.	अनारक्षित वर्ग	2571	903
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	639	189
3.	अनुसूचित जाति	1027	385
4.	अनुसूचित जनजाति	66	20
5.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	1157	428
6.	पिछड़ा वर्ग	769	256
7.	पिछड़े वर्ग की महिलाएँ	192	00
कुल		6421	2179

(ख)

2.	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2526, दिनांक- 18.02. 2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/ नतीनी के लिए आरक्षित (2%) कुल पदों की संख्या	128
----	--	-----

(ग)

3. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के आलोक में निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 04 (चार) प्रतिशत आरक्षित कुल पदों की संख्या		
(i)	दृष्टि बाधित (VI)	67
(ii)	मूक बधिर (DD)	65
(iii)	अस्थि दिव्यांग (OH)	63
(iv)	मनोविकार/बहुदिव्यांग	62

नोट:- शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमंडलवार स्वच्छ रोस्टर विवरणी आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

नोट:- विज्ञापित पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

2. **वेतनमान:-** 35000/- एवं सरकार द्वारा समय-समय पर देय अन्य भत्ते।

3. **शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य अर्हता):-**

- भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हों।
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 05 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना/बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जायेगा।
- मान्यता प्राप्त संस्था से बी.एड./बी.ए.एड./बी.एससी.एड. उत्तीर्ण हो।
- वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो।
 - Should be citizen of India and a resident of Bihar State.
 - (a) Must be post graduate from recognized university with at least 50% marks. For the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Extremely Backward Class/Backward Class/Persons with disabilities/women and Economically Backward Class, 5% relaxation shall be given in the minimum required marks. The degree of 'Fazil' and the degree of 'Aacharya' granted from the Maulana Mazharul Haque Arabic & Persian University, Patna/Bihar State Madarsa Education Board and Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University respectively shall be treated as equivalent to the Post graduation.
 - Must be B.Ed/B.A.Ed./B.Sc. Ed. From recognized institution.
 - Qualified in the 'Teacher Eligibility Test' conducted for teachers appointed on or after 2012.

(v) **अनुभव:-**

- राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा।
- सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई./बी.एस.ई.बी. से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा।
- राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 08 वर्ष की लगातार सेवा।

(घ) सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई./बी.एस.ई.बी. से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा।

उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि, जो बाद की तिथि हो, के आधार पर की जाएगी।

- (i) Minimum 10 Years of continuous service on the post of Secondary Teacher in State Government School under Panchayati Raj Institution or Municipal Body Institution.
- (ii) Minimum 12 Years of continuous service on the post of Secondary Teacher in School having permanent affiliation from C.B.S.E./I.C.S.E./B.S.E.B.
- (iii) Minimum 08 Years of continuous service on the post of Senior Secondary Teacher in State Government School under Panchayati Raj Institution or Municipal Body Institution.
- (iv) Minimum 10 Years of continuous service on the post of Senior Secondary Teacher in School having permanent affiliation from C.B.S.E./I.C.S.E./B.S.E.B.

The calculation of experience shall be made on the basis of date of joining or from the date of acquiring training qualification, whichever is later.

नोट:-शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि-28.03.2022 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(vi) **उम्र सीमा:-**पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी। सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई./बी.एस.ई.बी. से संबद्धता प्राप्त विद्यालय कार्यरत शिक्षकों के लिए दिनांक-01.08.2021 को न्यूनतम आयु 31 वर्ष तथा अधिकतम 47 वर्ष, आरक्षित वर्ग में शिक्षक के लिए अधिकतम आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रावधानित छूट दी जायेगी। वार्द्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है।

- (i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-2374, दिनांक-16.07.2007 के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक (बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक), जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमान्य है।
- (iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक-2447, दिनांक-06.03.1990 के आलोक में; भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

4. चयन प्रक्रिया:-

➤ लिखित परीक्षा:-

- (i) विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। यह परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी, जो वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन-100 अंक एवं बी.एड. कोर्स से संबंधित 50 अंकों की परीक्षा ओ.एम.आर.शीट (OMR) पर ली जायेगी। प्रत्येक प्रश्न का एक अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जायेंगे। प्रश्न अनुत्तरित रहने पर शून्य अंक देय होगा। परीक्षा की अवधि 02 (दो) घंटे की होगी।

➤ साक्षात्कार:-

इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

- (ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक संख्या-2374, दिनांक-16.07.2007 एवं पत्रांक-6706, दिनांक-01.10.2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं तथा नि:शक्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (iii) अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों से संवर्ग आवंटन संबंधी अधिमानता विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (iv) अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के चयन के पश्चात् चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन Merit-cum-choice के आधार पर संबंधित प्रमंडल में विभाग द्वारा किया जायेगा।
- (v) आयोग द्वारा विज्ञापित ऑनलाईन आवेदन पत्र में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता एवं अनुभव से संबंधित स्व-घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जायेगा। राज्य सरकार के विद्यालय से भिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा यह प्रमाण-पत्र भी दिया जाएगा की निर्धारित अवधि में उन्हें वेतन बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त हुआ और इसका साक्ष्य उनके स्तर पर उपलब्ध है।

नोट:1-पत्र/विषयों का स्तर एवं विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

नोट:2-आयोग के विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों में अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं अन्य योग्यता संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाही की जायेगी। आयोग के द्वारा तैयार औपबधिक मेधासूची शिक्षा विभाग को भेजने के पश्चात् अभ्यर्थियों द्वारा योग्यता संबंधी आवेदन में किये गये दावे की सत्यता की जाँच विभाग अपने स्तर पर करने के पश्चात् नियुक्ति की कार्यवाही करेगा। आवेदक के दावे और उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों के सत्यापन के पश्चात् मेधासूची को प्रशासी/शिक्षा विभाग संशोधित कर सकेगा।

प्रत्येक कोटि में 10% प्रतिशत प्रतीक्षा सूची आयोग द्वारा तैयार कर शिक्षा विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

नोट-3-लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।

5. आरक्षण:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।
- (iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
 - (a) जाति प्रमाण-पत्र
 - (b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र
- (B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय/शिक्षा विभाग में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (C) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक- 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्वि की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए।
- (iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।
आरक्षित कोटि निम्नवत् है :-

क्र.सं.	आरक्षित कोटि	ऑनलाईन आवेदन में आरक्षित कोटि	कोटि कोड
1.	अनुसूचित जाति (Schedule Caste)	SC	02
2.	अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe)	ST	03
3.	अति पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)	EBC	04
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	BC	05
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)	EWS	07

- (v)(क) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-962, दिनांक- 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों (Persons with Benchmark Disability) को इस विज्ञापन की कंडिका 1(ग) में वर्णित रिक्वि के अनुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में चिकित्सा पर्वद से निर्गत वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।

बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र फार्म VI (Form VI) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

- (ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-3433, दिनांक-09.10.2007 एवं पत्रांक-9529, दिनांक-01.07.2015 एवं संकल्प संख्या-962, दिनांक-22.01.2021 के अनुसार दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले परीक्षार्थियों, Candidate with permanent loss of limbs who are unable to write या सेरिब्रल पॉल्सी से ग्रसित अभ्यर्थी, जो लिखने में सक्षम नहीं हो, तथा जिनकी निशक्ता 40% या उससे अधिक है, को एक श्रुतिलेखक प्राप्त करने का प्रावधान है।

- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2342, दिनांक- 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को इस विज्ञापन की कंडिका 1(क) में वर्णित रिक्ति के अनुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2526, दिनांक- 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को इस विज्ञापन की कंडिका-1(ख) में वर्णित रिक्ति के अनुसार 02% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 11687, दिनांक-30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/ नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है)।
- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक- 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इस विज्ञापन की कंडिका-1 (क) 2 में वर्णित रिक्ति के अनुसार 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची -1 (प्रपत्र -1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आय एवं परिसम्पत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा। इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
- (ix) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापक-16144, दिनांक-28.11.2012 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की प्रक्रिया के बीच किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।
सभी वांछित प्रमाण पत्र लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि (संशोधन किये जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि तक) के पूर्व का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- नोट:- (1) ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ/शर्त/ जानकारी/किसी प्रकार की छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।
- नोट:- (2) अभ्यर्थियों को आयोग/शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी समय माँगे जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-
1. मैट्रिक का प्रमाण-पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए)।
 2. विज्ञापन की कंडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र।
 3. विज्ञापन की कंडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक-पत्र।
 4. विज्ञापन की कंडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र।
 5. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।
 6. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)। (दावा करने की स्थिति में)।
 7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।
 8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।
 9. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र। (दावा करने की स्थिति में)।
 10. दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र। (दावा करने की स्थिति में)।
 11. स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण-पत्र;
 12. बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं।
 13. केन्द्र सरकार, अर्द्ध सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में, तो परीक्षा में भाग लेने हेतु विभागीय अध्यक्ष/सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।
 14. पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।
 15. हाल का खिंचा हुआ 4 (चार) फोटो।

16. लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किये गये आवेदन की प्रति।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्र किसी भी समय माँगे जाने पर मूल में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी प्रभावित/रद्द होगी तथा आयोग/शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

6. शुल्क:-

- सामान्य अभ्यर्थियों के लिए- 750/- (सात सौ पचास) रुपये
- केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
- बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग) महिला उम्मीदवारों के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
- दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण-पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

7. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:- (I)

1.	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	दिनांक-05.03.2022
2.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	दिनांक-28.03.2022

नोट:-आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट/निबंधित ढाक से आवेदन की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। अपितु अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण-पत्रों/अंक पत्रों तथा आरक्षण से संबंधित प्रमाण-पत्रों आदि को अपलोड करना होगा।

- (ii) ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है।

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे।

- (A) रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन डाटा को Edit करने का Option रहेगा, जो Payment करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा, इसमें रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी किसी भी प्रविष्टि (नाम, पिता/पति/माता, आरक्षण कोटि इत्यादि) को Edit करने का प्रावधान रहेगा।

- (B) Payment करने एवं आवेदन के Final Submission किये जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गयी प्रविष्टि को पुनः Edit कर सकते हैं, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद एक सप्ताह (दिनांक-04.04.2022 तक) का समय दिया जायेगा।

परन्तु वे निम्न प्रविष्टियों में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे:-

- (i) जिन प्रविष्टियों से Fee का निर्धारण प्रभावित होता है:-

- (क) बिहार के मूलवासी Female अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का दावा किया गया है, वे Payment करने के बाद बिहार के मूलवासी Female होने के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।

- (ख) बिहार के मूलवासी SC/ST कोटि के अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का दावा किया गया है, वे Payment करने के बाद बिहार के मूलवासी SC/ST कोटि के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।

- (ग) 40% अथवा उससे अधिक प्रतिशत दिव्यांगता वाले Disabled Category के अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का दावा किया गया है, वे Payment करने के बाद दिव्यांगता के प्रतिशत के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।

- (ii) Payment करने के बाद अभ्यर्थी को नाम, पिता/पति/माता के नाम में Edit करने का अवसर नहीं मिलेगा। उपर्युक्त वर्णित बिन्दुओं को छोड़कर शेष Fields में अभ्यर्थी वांछित परिवर्तन कर सकेंगे।

वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने गैर-रियायती परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए आवेदन किया है, यदि वे बाद में Edit करके रियायती परीक्षा शुल्क वाली कोटियों में जाते हैं, तो उनके द्वारा Examination Fee के भुगतान की गयी अधिक राशि वापस नहीं होगी।

वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का लाभ लेते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और वे Edit करके दूसरे गैर-रियायती परीक्षा शुल्क वाली कोटियों में आवेदन करना चाहते हैं, वे आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व आवेदक अपने रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकता है तथा उसी Mobile No./Email ID से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नये सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके

आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जायेगा।

ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

ऑनलाईन आवेदन में भरे गये सूचनाओं का मूल प्रमाण-पत्र/अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

(iii) उक्त Edit करने की तिथि के बाद ऑनलाईन आवेदन के डाटा में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा, इसकी विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है:-

सुधार/परिवर्तन हेतु प्राप्त बिन्दु	आयोग का निर्णय
आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग (Gender), आधार संख्या, जाति, आरक्षण कोटि, भूतपूर्व सैनिक, बिहार राज्य के सरकारी सेवक, स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांग, पत्राचार का पता, स्थायी पता, अन्य डाटा जैसे:- फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षिक योग्यता, अनुभव इत्यादि में परिवर्तन/सुधार (Edit) के संबंध में।	(क) ऑनलाईन आवेदन के दौरान Edit की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद प्राप्त किसी भी तरह के परिवर्तन एवं सुधार (Edit) के अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। (ख) आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक आवेदक द्वारा भरे गये डाटा को अंतिम समझा जायेगा। (ग) उम्मीदवार द्वारा भरे गये डाटा और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र/कागजात में कोई भिन्नता आती है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
मोबाईल/ई-मेल में परिवर्तन/सुधार (Edit) के संबंध में।	एक बार Registration हो जाने के बाद परिवर्तन/सुधार संभव नहीं है। अतः उक्त संबंध में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।
एक से अधिक आवेदन करने या भरने के संबंध में।	Registration में गलत विवरण अंकित हो जाने की स्थिति में आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व आवेदक Registration को रद्द कर सकता है तथा उसी मोबाईल/ई-मेल से दूसरा Registration एवं नये सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है। वैसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जायेगा। आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अगर किसी अभ्यर्थी के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, ऐसी स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।
एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में।	किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।

- (iv) उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।
- (v) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 अंकित नहीं करेंगे।
- (vi) मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा की अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।
- (vii) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (viii) उम्मीदवार हाल का खिंचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।
- (ix) दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले दिव्यांग अभ्यर्थी, Candidate with permanent loss of limbs who are unable to write या सेरिब्रल पॉल्सी से ग्रसित अभ्यर्थी, जो लिखने में सक्षम नहीं है तथा जिनकी निःशक्तता 40% या उससे अधिक है, द्वारा ऑनलाईन आवेदन की कड़िका-3 (i) में अंकित श्रुतिलेखक की आवश्यकता है या नहीं (Yes/No) को Select करने के पश्चात् ही श्रुतिलेखक (Scribe) उपलब्ध कराया जायेगा।
- (x) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग/शिक्षा विभाग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

- (xi) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
- (xii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number** अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (xiii) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग/शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग/शिक्षा विभाग स्वतंत्र रहेगा।
- (xiv) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास ऑनलाईन आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।

8. महत्वपूर्ण निर्देश :-

- (i) अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application Section" से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे एवं विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग/शिक्षा विभाग द्वारा सत्यापन के समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में उम्मीदवार निम्नांकित प्रमाण-पत्रों को अपलोड करेंगे:-
- (a) मैट्रिक का प्रमाण-पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के लिए)।
- (b) विज्ञापन की कड़िका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र।
- (c) विज्ञापन की कड़िका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक-पत्र।
- (d) विज्ञापन की कड़िका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र।
- (e) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण-पत्र।
- (f) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण-पत्र।
- (g) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र।
- आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से।
- (h) दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र।
- (i) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण-पत्र।
- (j) आयु में छूट का दावा करने की स्थिति में अभ्यर्थी तत्संबंधी सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र।
- (k) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र।
9. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर शिक्षा विभाग अंतिम निर्णय लेगा।
10. योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।
11. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
12. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने के पश्चात् किया गया परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
13. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाएँ। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।